न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी–गोपाललाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 7/2020

तारीख दायरः–03.11.2020

श्री बाबुलाल पिता चम्पालाल महाजन निवासी विरावली हाल मुकाम पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री धन्नालाल पिता चम्पालाल महाजन निवासी खेरोट तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार अरनोद

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः– 1–श्री दुर्गाशंकर जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट

2–श्री मनोहरलाल रैगर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक 05.08.2022

अपील अपीलान्ट्स की ओर से विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स निम्न प्रकार पेश की है

1. यह कि ग्राम विरावली में अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व उनकी माता दाखु बाई के सामलाती खाते की पैतृक आराजी दर्ज कागजात सरकार है जो निम्न हैः–

आराजी नम्बर	रकबा
467	1.72 हैक्टर
492	0.01 हैक्टर
कुल किता 2	कुल रकबा 1.73

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:04:56 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि अपील की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी पैतृक है। उक्त आराजी में बंटवारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 के पिता के

Scanned by CamScanner

जीवनकाल में ही हो गया था जिसमे तय हुआ था कि उपरोक्त आराजी में 1/3 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता व माता ने रखा था। साथ ही यह भी तय हुआ था कि उक्त हिस्सा दोनो के स्वर्गवास के पश्चात 1/2 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 बराबर–बराबर बांट लेगे।

3. यह कि अपीलान्टके परिवार का सजरा निम्नहैः–

चम्पालाल

धन्नालाल रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व बाबुलाल अपीलान्ट

सन्नुबाई व कलाबाई (पुत्रीया) दाखीबाई (पत्नी)

4. यह कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 के पिता कास्वर्गवास होने के पश्चात अपील कीचरण संख्या 1 में वर्णित आराजी विरासत से अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 श्री धन्नालाल व माता दाखुबाई के नाम इंतकाल नम्बर 390 से दर्ज हुई। उक्त इंतकाल में सन्नुबाई व कलाबाई पुत्री का नाम दर्ज नहीं किया गया है। उक्त इंतकाल अपने आप में गलत दर्ज हुआ है।

5. यह कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 श्री धन्नालाल के पिता के स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट बाबुलाल व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल की माता अपीलान्ट के शामिल सरीख गांव विरावली में ही रह रही थी जिनकी देखरेख अपीलान्ट ही कर रहा था। इस कारण दाखुबाई के हिस्से की आराजी व काश्त अपीलान्ट ही कर रहा था।

6. यह कि अपीलान्ट बाबुलाल व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल की माता दाखुबाई का स्वर्गवास दिनांक 23.11.2011 को हो गया है। जिसका समस्त कार्यक्रम अपीलान्ट बाबुलाल व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल दोनो ने किया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व माता दाखुबाई के सामलाती आराजी है जिसमे तीनो का 1/3 हिस्सा बराबर–बराबर का है।

7. यह कि रेस्पोट डेन्ट क्रमांक 1 ने अपीलान्ट के साथ धोखाधडी व बईमानी कर माता के हिस्से की आराजी अपने हक में हकत्याग पत्र दिनांक 26.07.2011 से करवा लिया व उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 ने माता के हिस्से की आराजी अपने नाम इंतकाल नम्बर 127 से अपने नाम करवा लिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:04:56 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि अपीलान्ट को अपने खाते की आराजी की नकल की आवश्यकता होने पर पटवार हल्का के पास दिनांक 15.09.2020 को गया तब पटवारी

Scanned by CamScanner

द्वारा बताया कि तुम्हारी माता के हिस्से की आराजी रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 के हिस्से में दर्ज हो गई है। जानकारी होने पर अपीलान्ट ने इंतकाल की नकल व हकत्याग की नकल के लिये आवेदन किया जिस पर इंतकाल नम्बर 390 की नकल दिनांक 16.10.2020 को प्राप्त हुई व इंतकाल नम्बर 1272 की नकल दिनांक 22.10.2020 को प्राप्त हुई। दस्तावेजों का अवलोकन करने से मालूम हुआ कि रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 ने बईमानी व धोखाधडी से माता की आराजी सभी अपने नाम दर्ज करवाली है जिसको खारीज करने के लिये यह अपील पेश की है।

9. यह कि जब रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 ने हकत्याग पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज किया तब रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 को चाहिए था कि परिवार की पुरी जानकारी कर इंतकाल दर्ज करे जो कि नही किया गया है।

10. यह कि विवादग्रस्त आराजी का विरासत इंतकाल 390 जो अपने आप में गलत होने से निरस्त होने योग्य है व उसके पश्चात उक्त इंतकाल के आधार पर इंतकाल नम्बर 1272 दर्ज किया गया है जो स्वतः ही खारिज होने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादग्रस्त आराजी का पुनः नामान्तरण अपीलान्ट बाबुलाल व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल तथा सन्नुबाई एवं कलाबाई के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 23.03.2021 को रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दी जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 30.09.2021 को अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया कि ग्राम विरावली में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता चम्पालाल पिता रूघनाथ महाजन के नाम आराजी नम्बर 467, 492 रकबा क्रमशः 1.72 व 0.01 हैक्टर है। उक्त आराजी का बंटवारा चम्पालाल ने अपने जीवनकाल में 1/3–1/3 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व एक हिस्सा चम्पालाल व उनकी पत्नी के हिस्से में रखा गया था तय हुआ था कि दोनो के स्वर्गवास के पश्चात 1/3 हिस्सा अपीलान्ट बाबुलाल व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल के पिता चम्पालाल के स्वर्गवास के पश्चात उनके खाते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:04:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आराजी अपीलान्ट बाबुलाल व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल तथा उनकी पत्नी दाखीबाई के नाम 1/3– 1/3 दर्ज हुआ। जिसमें अपीलान्ट बाबुलाल रेस्पोडेन्ट धन्नालाल व माता दाखीबाई का बराबर–बराबर का हिस्सा दर्ज हुआ है। चम्पालाल के स्वर्गवास के पश्चात उनके खाते की आराजी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल व दाखीबाई के नाम इंतकाल नम्बर 390 से दर्ज हुई है। इंतकाल नम्बर 390 नियमानुसार अपीलान्ट बाबुलाल रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 धन्नालाल, माता दाखीबाई व बहन सन्नुबाई तथा कलाबाई के नाम दर्ज होना चाहिए था जो दर्ज नहीं हुआ है। उक्त इंतकाल अपने आप में गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार अरनोद से प्राप्त मृतक चम्पालाल के वारीसान की रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण 390 में पुत्रियों का भी हक होना चाहिए जो कि नहीं दिया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 390 खारीज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अरनोद को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक चम्पालाल के विधिक वारीसानों की जॉच कर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। नामान्तरण संख्या 1272 भी खारिज योग्य है क्योंकि हक त्याग के समय हकत्यागकर्ता का सही हिस्सा दर्ज नहीं था। नए सिरे से विरासत का नामांतरण दर्ज होने के बाद हकत्यागर्ता का सही हिस्सा निर्धारित होगा। अतः नामान्तरण संख्या 1272 को भी खारिज किया जाता है। विरासत के नामान्तरण का निर्णय होने के बाद नियमानुसार हकत्याग का नामान्तरण भी नए सिरे से दर्ज किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नेमीलाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिलाकलक्टर
प्रतापगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:04:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner